

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक : एफ 11 (3)मो./ 15 सूत्रीय/आईसीडीएस/2015-16

जयपुर, दिनांक 22/8/18

उप निदेशक,

150352-3884

महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय:- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) की मासिक सूचना
भिजवाने के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय प्रधानमंत्रीजी के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम का परिवर्तित नाम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) रखा गया है। जिसकी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में शीघ्र ही समीक्षात्मक बैठक होने की संभावना है।

इस हेतु वर्ष 2018-19 के वार्षिक परिवार सर्वे के अनुसार आंगनबाड़ी स्तर पर समेकित बाल विकास सेवाएँ के अन्तर्गत पूरक पोषाहार लेने वाले इच्छुक लाभार्थियों (6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे व किशोरी बालिकाओं) तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं का पंजीकृत आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के सभी श्रेणियों के लाभार्थियों की एवं मानदेय कर्मियों की सूचना पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में माह जुलाई 2018 तक की तैयार कर दिनांक 30.08.2018 तक विभाग की ई-मेल (jdm.wcd@rajasthan.gov.in) पर भिजवाने की सुनिश्चित व्यवस्था करावें।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ 11 (3)मो./ 15 सूत्रीय/आईसीडीएस/2015-16

जयपुर, दिनांक 23/8/18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है उक्त सूचना निर्धारित प्रपत्र में भर कर उप निदेशक कार्यालय को दिनांक 28.08.2018 तक भिजवाने की सुनिश्चित व्यवस्था करावें
2. एसीपी मुख्यालय उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।